भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2641
दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत गांवों में पाइपों के माध्यम से जल आपूर्ति की स्थिति

2641 # श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत निर्मित पानी की टंकियों में खामियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**,** जिनके कारण या तो पानी का रिसाव हो रहा है या टंकियां जर्जर अवस्था में हैं और ढह रही हैं**;**
(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी टंकियों से अभी तक जल आपूर्ति नहीं हो रही है**;**
(ग) वर्तमान में हर घर जल और जेजेएम का कितना कार्य पूरा नहीं हो पाया है**;**
(घ) देश के उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें जेजेएम के अंतर्गत पाइप तो बिछाए गए हैं लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है**;** और
(ङ) इस योजना के अंतर्गत बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 03.03.2026 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत 12.58 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस प्रकार, 03.03.2026 तक,

देश के लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.82 करोड़ (81.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है शेष 3.54 करोड़ परिवारों के लिए कार्य संबंधित राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के तहत प्रदान किए गए नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिला-वार और ग्राम-वार स्थिति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे जेजेएम डैशबोर्ड के निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में मदद करती है। *अन्य बातों के साथ-साथ* जल भंडारण/टैंकों, संवितरण प्रणालियों अथवा शुद्धिकरण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य वाली परियोजनाओं सहित अनेक परियोजनाएं परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर एक साथ कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों का परियोजना-वार ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर रखा जाता है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर चयनित एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन करता है। कार्यशीलता मूल्यांकन, 2024 के दौरान, यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए गांवों में 98.1% परिवारों के पास नल कनेक्शन थे; नल कनेक्शन वाले 87% परिवारों ने पिछले सप्ताह में पानी प्राप्त करने की सूचना दी, जो समग्र प्रगति का संकेत है; 84% परिवारों को अनुसूची के अनुसार पानी मिलता है; 80% परिवारों को न्यूनतम 55 एलपीसीडी पानी मिलता पाया गया; 76% परिवार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण से मुक्त पाए गए और 81% परिवार आपूर्ति स्रोत के रासायनिक संदूषण से मुक्त पाए गए तथा मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के मापदंडों पर विचार करते हुए, 76% पारिवारिक नल कनेक्शन कार्यशील पाए गए।

(ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जेजेएम के अंतर्गत, पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राज्यों ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में दुर्लभ भरोसेमंद जल स्रोत, भू-जनित संदूषण, दुर्गम भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई बसावटों, सीमित तकनीकी क्षमता, बढ़ती सामग्री लागत और सांविधिक स्वीकृतियों में विलंब आदि जैसी चुनौतियों की सूचना दी है। भारत सरकार

तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में मदद करती है।

चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 67,670 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता, त्वरित मंजूरी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, एसपीएमयू, डीपीएमयू की स्थापना और स्थानीय तकनीकी कौशलों को सुदृढ़ करने के लिए नल जल मित्र कार्यक्रम जैसे उपाय शुरू किए हैं। इसके अलावा, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन में तेजी लाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, ग्राम/जिला डैशबोर्ड और ग्राम स्तर के डैशबोर्ड को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से जोड़ना, जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद, आईएमआईएस मॉड्यूल के माध्यम से राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) की भूमिका का संस्थागतकरण, टीपीआईए की भूमिका, संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग को मजबूत करना, स्रोत स्थिरता को मजबूत करने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, सामुदायिक प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों पर पुस्तिका, एकीकृत पाइपगत जल प्रणाली के लिए विशिष्ट आईडी आदि जैसे कदम जेजेएम के तहत हाल ही में उठाए गए हैं।

***